[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलाँ (भीलवाड़ा)

11/12 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वास्ते जवाब की तिथि 5.12.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलाँ (भीलवाड़ा)

5.12.25 पत्रावली पर। हुई। उभय पक्ष उपस्थित। P.O. स अन्य कार्य में व्यस्त। बाहर पधारे/अभियान में पधारे। अवकाश पर है। अतः पत्रावली अग्रिम तिथि 22.01.2026 को पेश हो।

22.01.26 पत्रावली पर। हुई। उभय पक्ष उपस्थित। P.O. स अन्य कार्य में व्यस्त। बाहर पधारे/अभियान में पधारे। अवकाश पर है। अतः पत्रावली अग्रिम तिथि 19.02.2026 को पेश हो।

19.2.26 पत्रावली पेश हुई। ~~उभयपक्ष~~ प्रार्थी वकील उपस्थित। वास्ते जवाब ~~के~~ दिनांक 26/2/2026 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलाँ (भीलवाड़ा)

26/2/26 पत्रावली पर। हुई। उभय पक्ष उपस्थित। P.O. स अन्य कार्य में व्यस्त। बाहर पधारे/अभियान में पधारे। अवकाश पर है। अतः पत्रावली अग्रिम तिथि 2/4/26 को पेश हो।

02/04/2026 पत्रावली पेश। उभय पक्ष उपस्थित नहीं। हर-हर कर तीन बार आवाज लगाई गई फिर भी उपस्थित नहीं। अतः अदम पैरवी तथा अदम पैरवी के कारण CPC के Order 9 Rule 3 CPC के तहत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। निर्धारित शुल्क वापस के लिए आवेदन करें।

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलाँ जिला-भीलवाड़ा